

हरियाणा सरकार

राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग

अधिसूचना

दिनांक प्रथम दिसम्बर, 2016

संख्या का0आ058/पं0अ017/1887/घा05/2016.— रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908(1908 का केन्द्रीय अधिनियम 16), की धारा 5 के साथ पठित पंजाब भू-राजस्व अधिनियम, 1887 (1887 का पंजाब अधिनियम 17), की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, अधिसूचना संख्या का0आ054/पं0अ017/1887/घा0/2016, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात्:

संशोधन

हरियाणा सरकार, राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग, सूचना संख्या का0आ054/पं0अ017/1887/घा0/2016, दिनांक 16 नवम्बर, 2016 में, अन्तिम पंक्ति में, “फिरोजपुर झिरका, नूँह तथा हथीन” शब्दों तथा चिह्न के स्थान पर “फिरोजपुर झिरका तथा नूँह” शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

केशनी आनन्द अरोड़ा,

अपर मुख्य सचिव एवं वित्तियुक्त, हरियाणा सरकार,
राजस्व तथा आपदा प्रबन्धन विभाग।

[Authorised English Translation]

HARYANA GOVERNMENT
REVENUE AND DISASTER MANAGEMENT DEPARTMENT

Notification

The 1st December, 2016

No. S.O.58/P.A.17/1887/S.5/2016.— In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Land Revenue Act, 1887 (Punjab Act 17 of 1887) read with section 5 of the Registration Act, 1908 (Central Act 16 of 1908), the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.54/P.A./1887/S.5/2016, dated 16th November, 2016, namely:-

Amendment

In the Haryana Government, Revenue and Disaster Management Department, notification No. S.O.54/P.A.17/1887/S.5/2016, dated 16th November, 2016] in the last line, for the words and sign "Ferozpur Jhirka, Nuh and Hathin" the word "Ferozpur Jhirka and Nuh" shall be substituted.

KESHNI ANAND ARORA,
Additional Chief Secretary and Financial Commissioner to Government Haryana,
Revenue and Disaster Management Department.